जानबा (मृत) जरिये एलआर

बनाम

श्रीमती गोपिकाबाई

6 अप्रैल, 2000

[ख्एसण् सगीर अहमद और एम.बी. शाह, जे.जे.],

बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958- धारा 50(आई), 41 (2)- धारा एसओ-धारा 41 से 44 के तहत खरीद के मामले की प्रयोज्यता, ऐसी खरीद के लिए यथोचित परिवर्तनों को लागू करने के लिए जो किरायेदार धारा 41 के तहत करने का हकदार है- धारा 41 सी की उप-धारा (2) को धारा 50 के तहत खरीद के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह खरीद से संबंधित नहीं है बल्कि यह स्थगन के संबंध में है। ऐसी खरीद- धारा 41 से 44 धारा 50(1)-की व्याख्या-हाईकोर्ट-हेल्ड द्वारा लगातार एक ही अर्थ दिया जाना, लगभग तीन दशकों के बाद प्रावधान की अलग-अलग व्याख्या करना उचित नहीं होगा। कई वर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए कानूनों की व्याख्या-स्थानीय कानूनों-विचारों की व्याख्या का गैर-कानूनी रूप से पालन किया जाना चाहिए।

एक एल की विधवा (प्रतिवादी) ने यह घोषणा करने के लिए तहसीलदार को आवेदन दिया कि अपीलकर्ता ने विवाद में जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, क्योंकि वह उसका किरायेदार नहीं था और, उन्होंने वैकल्पिक रूप से धारा 50 के तहत जमीन का कब्जा मांगा। किरायेदारी अधिनियम के अनुसार, किरायेदार ने उक्त के प्रारंभ होने से एक वर्ष के भीतर खरीद के अधिकार का प्रयोग नहीं किया था एक अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष प्नरीक्षण दायर किया, जिसे तहसीलदार के आदेश को बहाल करने की अनुमति दी गई, जिसमें कहा गया कि उत्तरदाताओं की विधवा होने के कारण समय के विस्तार और आत्मसमर्पण का सवाल ही नहीं उठता। प्रावधान। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी विधवा हैं, इसलिए जमीन खरीदने का उनका अधिकार अधिनियम की धारा 41(2) के तहत उनकी विकलांगता समाप्त होने तक स्थगित कर दिया गया था, फिर मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा, जिसे वापस तहसीलदार को भेज दिया गया। तहसीलदार ने प्रतिवादियों के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता जी का हकदार नहीं था विधवा के ब्याज की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति तक भूमि खरीदें।

अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं की अपील को स्वीकार कर लिया और उन्हें कब्जे की बहाली के लिए उचित उपाय खोजने का निर्देश दिया, बशर्ते कि अपीलकर्ता कभी किरायेदार नहीं रहा हो। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई। एकल न्यायाधीश ने माना कि यह घोषणा करने का दावा कि अपीलकर्ता किरायेदार नहीं था, बी द्वारा वर्जित कर दिया गया था सीमा, और यह कि किरायेदारी 1.4.1963 के बाद बनाई गई थी और मामले के तथ्यों में, धारा 50 लागू होगी। इस सवाल पर कि क्या अधिनियम की धारा 41(2) ऐसी किरायेदारियों पर लागू होती है, उन्होंने मामले को डिवीजन बेंच के पास भेज दिया, जिसने माना कि धारा 50 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और धारा 41(2) के प्रावधान ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे पर लागू हो किरायेदारी। किरायेदारी की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपीलकर्ता द्वारा खरीद के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया, प्रतिवादी कब्जे की डिलीवरी का हकदार था। अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय में अपील की गई थी।

इस न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। अभिनिर्धारित:

1.1. धारा 50 विशेष रूप से प्रदान करती है कि प्रत्येक किरायेदार जो ऐसी किरायेदारी के तहत भूमि रखता है यानी 1.4.1963 के बाद बनाई गई या बहाल की गई किरायेदारी, और उस पर व्यक्तिगत रूप से खेती करता है, शुरू होने से एक वर्ष के भीतर या जैसा भी मामला हो, किरायेदारी की बहाली के एक वर्ष के भीतर खरीदने का हकदार होगा। इतनी भूमि जितनी वह ई के तहत खरीदने का हकदार हो धारा 41 एक वर्ष की उस अविध को यह मानकर नहीं बदला जा सकता है कि उप-धारा

- (2) लागू होगी और ऐसी खरीदारी को अनिश्चित काल के लिए स्थिगत नहीं किया जाएगा, अर्थात विकलांगता की समाप्ति की तारीख से दो साल के बाद मकानमालिक। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसी खरीददारी अनिश्चित घटना, अर्थात् नाबालिग मकान मालिक के वयस्क होने, विधवा होने के बाद दो साल की अविध के लिए स्थिगत कर दी जाएगी। मालिक न रहना या विकलांग व्यक्ति के मामले में, मानसिक या शारीरिक विकलांगता समाप्त होने तक। यह न तो विधायिका का इरादा है और न ही इसका प्रावधान किया गया है। जो प्रावधान किया गया है वह है -ऐसी खरीददारी के लिए धारा 41 से 44 यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगी। 1049-बी-डी,
- 1.2. धारा 50 की योजना धारा 41 से भिन्न है। धारा 41 एक किरायेदार द्वारा भूमि की खरीद की बात करती है और निर्दिष्ट श्रेणियों (नाबालिग, विधवा या व्यक्ति विषय) के मकान मालिक के पक्ष में उपधारा (2) में दिए गए एक अपवाद को उजागर करती है। शारीरिक विकलांगता के लिए)। इसके विपरीत, धारा 50 के तहत मकान मालिक या एच किरायेदार के पक्ष में ऐसा कोई अपवाद नहीं बनाया गया है जो नाबालिग है, विधवा है या किसी शारीरिक या शारीरिक उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति है। मानिसक विकलांगता द्वारा भूमि खरीदने के लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की निर्धारित समय सीमा केवल एक वर्ष है। यदि मकान मालिक या किरायेदार नाबालिग, विधवा या विकलांग व्यक्ति है, तो खरीद के ऐसे

अधिकार को स्थगित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 1047-बी-सी

1.3. धारा 50 की योजना यह देखना है कि या तो किरायेदार खरीदता है भूमि या भूमि का कब्जा जमींदार को वापस लौटाता है। इसमें प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां 1.4.1963 के बाद किरायेदारी बनाई या बहाल की जाती है, किरायेदार किरायेदारी शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर धारा 42 में उल्लिखित सीमा तक उसके द्वारा खेती की गई भूमि खरीदने का हकदार है। यदि ऐसे अधिकार का प्रयोग करने में विफलता होती है, तो परिणाम धारा 43(14 ए) में प्रावधान का पालन किया जाएगा। 1048-ए-बी,

1.4. उप-धारा (2) को धारा 50 के तहत खरीद के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह खरीद से संबंधित नहीं है बिल्क यह ऐसी खरीद के स्थगन के संबंध में है। धारा 50 में केवल यह प्रावधान है कि किरायेदार ऐसी भूमि का उतना ही हिस्सा खरीदने का हकदार होगा जितना वह डी का हकदार हो सकता है धारा 41 के तहत खरीद और ऐसी खरीद पर धारा 41 से 44 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। धारा 50 के संदर्भ में समझी जाने वाली यथोचित परिवर्तनों की अवधारणा इस प्रकार होगी- धारा 41 से 44 ष्इस तरह के पीछा के विवरण के बिंदुओं में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी, अर्थात,

इसके बाद, धारा के वे हिस्से जो हैं ऐसी खरीददारी से संबंधित नियम लागू किए गए हैं लेकिन स्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं है धारा 41(2) के तहत प्रदान की गई ऐसी खरीददारी करना। ख1048-डी-ई,

2.1. किरायेदारी अधिनियम की धारा 50 की उच्च न्यायालय द्वारा लगातार व्याख्या की गई है और लगभग तीन ढ!मब थ् के बाद उस प्रावधान की अलग-अलग व्याख्या करके निर्णयों की प्रक्रिया को बिगाड़ना उचित नहीं होगा।

गोविंदा बनाम उधाओ और अन्य, (1972) मह. एल.जे. 588 और विक्रम यशवन्त और अन्य बनाम एकनाथ त्रिमबक गुडेकर और अन्य, (1977) एमएच.एल.जे. 520, पर भरोसा किया।

2.2 स्थानीय कानून के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा कई वर्षों से अपनाए गए दृष्टिकोण का आम तौर पर पालन किया जाना चाहिए और परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

राज नारायण पांडे और अन्य बनाम संत प्रसाद तिवारी और अन्य, 1973, 2 एससीसी 35 और दर्शन सिंह आदि बनाम राम पाल सिंह और अन्य, 1992, सप्ल. 1 एससीसी 191, पर निर्भर।

शाह, जे. इस अपील में शामिल प्रश्न बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958 (इसके बाद किरायेदारी अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 50(1) की व्याख्या के संबंध में है, जो अन्य

बातों के साथ-साथ यह प्रदान करता है कि किरायेदारी कहाँ बनाई गई है 01.4.1963, ऐसी किरायेदारी के तहत जमीन रखने वाला और उस पर व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाला प्रत्येक किरायेदार किरायेदारी के श्रू होने से एक वर्ष के दौरान इतनी जमीन खरीदने का हकदार होगा, जितनी वह धारा 41 और धारा 41 के प्रावधानों के तहत खरीदने का हकदार हो सकता है। से 44 ऐसी खरीद पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा। इस उद्देश्य के लिए, जैसा कि धारा 43 के तहत प्रावधान है, उसे मकान मालिक को एक प्रस्ताव देना होगा जिसमें वह कीमत बतानी होगी जिस पर वह जमीन खरीदने के लिए तैयार है और ऐसी कीमत उसके द्वारा देय किराए के 12 गुना से अधिक नहीं होगी। अपीलकर्ता-किरायेदार का तर्क है कि चूंकि प्रतिवादी-मकान मालकिन विधवा थीं, इसलिए जमीन खरीदने का उनका अधिकार किरायेदारी अधिनियम की धारा 41(2) के तहत उनकी विकलांगता समाप्त होने तक स्थगित कर दिया गया है। इसके विपरीत, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विशेष सिविल आवेदन संख्या 792/1975 में दिनांक 05.7.1985 को दिए गए फैसले में कहा कि धारा 50 के तहत निर्दिष्ट खरीद के मामले में धारा 41(2) लागू नहीं होगी। वह निर्णय और आदेश है यह अपील दायर कर चुनौती दी गई।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटने से
पहले यह कहा जाना चाहिए कि कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी नंबर 1,
श्रीमती लक्ष्मणराव वंजारी की विधवा राधिकाबाई की मृत्यु हो गई थी।

सिविल विविध 1986 की याचिका संख्या 19711 उनका नाम हटाने के लिए दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राधिकाबाई की मृत्यु हो गई है और उनके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी व्यक्ति नहीं है। अपीलकर्ता के जोखिम पर उसका नाम न्यायालय के दिनांक 15.3.1999 के आदेश के तहत उक्त सीएमपी में हटा दिया गया था।

संबंधित प्रश्न का निर्णय करने के लिए, हम पहले मामले के कुछ तथ्यों का उल्लेख करेंगे। 16.1.1967 को उत्तरदाताओं, जो लक्ष्मणराव वंजारी की विधवाएं थीं, ने तहसीलदार, केलापुर को एक घोषणा के लिए आवेदन किया कि अपीलकर्ता सर्वेक्षण संख्या 1/1, 2 एकड़ 28 गुंठा और 3/1 ए, 6 वाली भूमि का किरायेदार नहीं था। ग्राम हीराप्र की एकड़ 39 गुंठा भूमि पर उसका कब्जा अवैध था और किरायेदारी अधिनियम की धारा 50 के तहत कब्जे के विकल्प में था क्योंकि किरायेदार ने उक्त प्रावधान के शुरू होने से एक वर्ष के भीतर खरीद के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं के विधवा होने के कारण, किरायेदारी अधिनियम की धारा 41(2) के मद्देनजर उत्तरदाताओं के हित की समाप्ति के बाद उसका खरीद का अधिकार दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस मामले पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा विचार किया गया और अंततः 1969 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 505 में उच्च न्यायालय तक पहंच गया। उच्च न्यायालय ने मामले को नए निर्णय के लिए तहसीलदार को भेज दिया। रिमांड के बाद तहसीलदार

ने आदेश दिनांक 22.2.1972 द्वारा यह माना कि अपीलकर्ता 1964-65 से किरायेदार था और वह विधवा के ब्याज की समाप्ति के दो साल की समाप्ति के बाद तक उक्त भूमि खरीदने का हकदार नहीं था, इसलिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। अपील में, अपीलीय प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 31.12.1973 के तहत माना कि अपीलकर्ता कभी किरायेदार नहीं था और प्रतिवादियों को कब्जे की बहाली के लिए उचित उपाय खोजने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिनांक 31.12.1974 द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हुए संशोधन की अनुमति दी और कहा कि उत्तरदाताओं की विधवा होने के कारण, समय के विस्तार और डीम्ड सरेंडर का सवाल ही नहीं उठता। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि चूंकि उत्तरदाताओं ने कार्रवाई का कारण जानने के छह महीने के भीतर आवेदन नहीं किया था, इसलिए आवेदन समय बाधित हो गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध, विशेष सिविल आवेदन संख्या 792/1975 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। उच्च न्यायालय में, अपीलकर्ता का यह तर्क था कि धारा 41(2) किरायेदारी के संबंध में लागू होगी, जिस पर किरायेदारी अधिनियम की धारा 50 लागू होती है। इसलिए, चूंकि मकान मालिकन विधवा थीं, इसलिए विधवाओं के ब्याज की समाप्ति के बाद खरीद का अधिकार दो साल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि अधिनियम की धारा 50 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और खरीद के अधिकार के स्थगन के संबंध में

धारा 41(2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उच्च न्यायालय के विदवान एकल न्यायाधीश ने माना कि यह घोषित करने का दावा कि अपीलकर्ता किरायेदार नहीं था, सीमा से वर्जित था और यह मानते हुए मामले का फैसला किया कि किरायेदारी 1.4.1963 के बाद बनाई गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना कि मामले के तथ्यों में धारा 50 लागू होगी। इस सवाल पर कि क्या अधिनियम की धारा 41(2) ऐसी किरायेदारियों पर लागू होती है, विद्वान न्यायाधीश ने मामले को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच को भेज दिया। डिवीजन बेंच ने दिनांक 5.7.1985 के आक्षेपित आदेश द्वारा माना कि धारा 50 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और धारा 41(2) के प्रावधान ऐसी किरायेदारी पर लागू नहीं होंगे। न्यायालय ने माना कि किरायेदारी की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपीलकर्ता द्वारा खरीद के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है, उत्तरदाता कब्जे की डिलीवरी के हकदार थे।

धारा 50 की योजना और इसकी व्याख्या की उचित समझ के लिए, किरायेदारी अधिनियम की धारा 41, 42, 43, 46, 49 ए और 50 के प्रासंगिक भागों को देखना आवश्यक है।

" धारा 41. किरायेदार को जमीन खरीदने का अधिकार. (1) किसी भी कानून, प्रथा या अनुबंध में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, लेकिन धारा 42 से 44 (दोनों सम्मिलित) के

प्रावधानों के अधीन, एक अधिभोगी किरायेदार के अलावा अन्य किरायेदार, किरायेदार के रूप में उसके द्वारा रखी गई भूमि के मामले में, मकान मालिक से वह भूमि खरीदने का हकदार होगा जो उसके पास किरायेदार के रूप में है और जिस पर वह व्यक्तिगत रूप से खेती करता है।"

- (2) जहां मकान मालिक निम्नलिखित श्रेणी का है, अर्थात -
- (ए) एक नाबालिग,
- (बी) एक विधवा,
- (सी)
- (डी) कोई व्यक्ति किसी भी शारीरिक या मानसिक विकलांगता के अधीन है, ऐसा किरायेदार उस तारीख से दो साल की समाप्ति के बाद इस धारा के तहत मकान मालिक के ब्याज को खरीदने का हकदार होगा।
 - (प) श्रेणी (ए) का मकान मालिक वयस्क हो जाता है,
 - (पप) ...
- (पपप) श्रेणी (डी) का जमींदार ऐसी विकलांगता के अधीन नहीं रहता है, और
 - (पअ) भूमि में श्रेणी (बी) के जमींदार का हित समाप्त हो जाता है

धारा 42. भूमि की सीमा जिसे किरायेदार धारा 41 के तहत खरीद सकता है। धारा 41 के तहत एक किरायेदार का अपने मकान मालिक से किरायेदार के रूप में उसके द्वारा रखी गई भूमि खरीदने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् -

- (ए) यदि किरायेदार व्यक्तिगत रूप से किसी भी भूमि पर खेती नहीं करता है, तो किरायेदार के रूप में उसके द्वारा भूमि की खरीद तीन पारिवारिक जोतों की सीमा तक सीमित होगी।
- (बी) यदि किरायेदार व्यक्तिगत रूप से किसी भूमि पर काश्तकार के रूप में खेती करता है, तो उसके द्वारा भूमि की खरीद ऐसे क्षेत्र तक सीमित होगी जो उसके द्वारा काश्तकार के रूप में रखी गई भूमि के क्षेत्र को बनाने के लिए पर्याप्त होगी। तीन पारिवारिक जोतों की सीमा तक।

धारा 43 किरायेदार के लिए प्रस्ताव देने की प्रक्रिया, खरीद मूल्य का निर्धारण, भ्गतान का तरीका आदि प्रदान करती है।

धारा 43(1) से (14)......

धारा 43(14-ए)- यदि कोई किरायेदार अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहता है किसी भी भूमि के संबंध में धारा 41 के तहत खरीद या किसी भी भूमि की खरीद अप्रभावी हो जाती है, तो भूमि को मकान मालिक को आत्मसमर्पण कर दिया गया माना जाएगा, और उसके बाद धारा 21 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान और अध्याय ऐसी भूमि पर लागू होगा जैसे कि भूमि किरायेदार द्वारा धारा 20 के तहत आत्मसमर्पण की गई थी।

धारा 44 ऋणों की संतुष्टि के लिए लागू की जाने वाली खरीद मूल्य की राशि से संबंधित है।

धारा 46 निर्दिष्ट तिथि से भूमि के स्वामित्व का किरायेदारों को हस्तांतरण (1) इस अध्याय या तत्समय लागू किसी कानून या इसके विपरीत किसी प्रथा, प्रथा, डिक्री, अनुबंध या अनुदान में किसी बात के होते हुए भी, अप्रैल 1961 के पहले दिन से ही सभी भूमियों का स्वामित्व किरायेदारों द्वारा रखी गई संपत्ति जिसे वे इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के तहत अपने मकान मालिकों से खरीदने के हकदार हैं, ऐसे किरायेदारों को हस्तांतरित और निहित हो जाएगी और ऐसी तारीख से ऐसे किरायेदारों को ऐसी भूमि का पूर्ण मालिक माना जाएगारू

बशर्ते कि यदि ऐसी तिथि को कोई ऐसा किरायेदार निम्नलिखित श्रेणी का हो, अर्थात्-

- (ए) नाबालिग,
- (बी) विधवा,
- (सी) सशस्त्र बलों का सेवारत सदस्य, या
- (डी) किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति, भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित हो जाएगा-

(प) किरायेदार को उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर जिस दिन श्रेणी (ए) का किरायेदार वयस्क हो जाता है, श्रेणी (सी) का किरायेदार ऐसे बल में सेवा करना बंद कर देता है, श्रेणी (डी) का किरायेदार समाप्त हो जाता है ऐसी विकलांगता के अधीन होगी और (पप) एक विधवा के मामले में, उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर, जिस दिन भूमि में विधवा का हित समाप्त हो जाता है, उसके उत्तराधिकारी के लिए बशर्त कि जहां ऐसी किसी भूमि के संबंध में, धारा 19,20, 21, 36 या 38 के तहत कोई कार्यवाही उपधारा (1) में निर्दिष्ट तिथि पर लंबित हो, ऐसी भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण उस तिथि पर प्रभावी होगा जिस पर ऐसी कार्यवाही का अंतिम निर्णय हो जाता है और किरायेदार ऐसी कार्यवाही में निर्णय के अनुसार भूमि पर कब्जा बरकरार रखता है।

धारा 49(ए). अप्रैल, 1963 के प्रथम दिन कुछ भूमियों का स्वामित्व किरायेदारों को हस्तांतिरत कर दिया जाएगा। (1) धारा 41 या 46 में निहित किसी भी बात के बावजूद, या इसके विपरीत किसी भी प्रथा, प्रथा, डिक्री, अनुबंध या अनुदान के बावजूद, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन 1 अप्रैल 1963 से किरायेदार के पास मौजूद सभी भूमि का स्वामित्व (वह भूमि जो धारा 46 के तहत किरायेदार को हस्तांतिरत नहीं की गई है या जो धारा 41 या 50 के तहत उसके द्वारा खरीदी नहीं गई है) को स्थानांतिरत कर दिया जाएगा। और ऐसे किरायेदार में निहित हो जाएगा, जो उपरोक्त तिथि से, ऐसी भूमि का पूर्ण मालिक माना जाएगा,

यदि ऐसी भूमि उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की जाती है, और

(प) मकान मालिक ने धारा 38 की उपधारा (1) या धारा 39 या धारा 39 ए की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार किरायेदारी की समाप्ति की सूचना नहीं दी है या

(पप) मकान मालिक ने ऐसा नोटिस दिया है, लेकिन उसके बाद धारा 36 के तहत उन धाराओं के तहत कब्जे के लिए कोई आवेदन नहीं किया है या

(पपप) मकान मालिक (एक मकान मालिक होने के नाते जो धारा 38 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं है) ने धारा 19 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर किरायेदारी समाप्त नहीं की है या उसने किरायेदारी समाप्त कर दी है लेकिन है भूमि पर कब्जे के लिए धारा 36 के तहत 31 मार्च 1963 को या उससे पहले तहसीलदार को आवेदन नहीं किया गया।

बशर्ते कि, जहां मकान मालिक ने कब्जे के लिए ऐसा आवेदन किया है, तो किरायेदार, या जिस तारीख को आवेदन पर अंतिम निर्णय लिया जाता है, उस भूमि का पूर्ण मालिक माना जाएगा, जिसे वह ऐसे निर्णय के बाद कब्जे में बनाए रखने का हकदार है।

धारा 50. भूमि खरीदने की निर्दिष्ट तिथि के बाद किरायेदारी के तहत भूमि रखने वाले किरायेदारों के अधिकार बहाल या बनाए गए। (1)

जहां धारा 7, 10, 21, 52 या 128 ए के तहत किरायेदारी बहाल की जाती है या उप-धारा (एल) में निर्दिष्ट तिथि के बाद किसी भी क्षेत्र में अध्याय प्प्प-ए के अर्थ के भीतर एक मकान मालिक द्वारा बनाई गई है जो मकान मालिक नहीं है।) धारा 49 ए में, ऐसी किरायेदारी के तहत भूमि रखने वाला और उस पर व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाला प्रत्येक किरायेदार, शुरू होने से एक वर्ष के भीतर खरीद का हकदार होगा या जैसा भी मामला हो, किरायेदारी की उतनी भूमि की बहाली, जितनी वह हकदार हो सकती है। धारा 41 के तहत खरीद और धारा 41 से 44 (दोनों सम्मिलित) के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ ऐसी खरीद पर लागू होंगे।

इस स्तर पर हम उल्लेख करेंगे कि विदर्भ क्षेत्र पर लागू किरायेदारी अधिनियम की धारा 50 की उच्च न्यायालय द्वारा वर्षों से लगातार व्याख्या की गई है जैसा कि आक्षेपित निर्णय में कहा गया है। गोविंदा बनाम उधाओं और अन्य 1972 एमएच.एलजे 588, में बॉम्बे हाई कोर्ट के विद्वान एकल ने धारा 41 से 50 की योजना पर विचार किया और बताया कि धारा 50 दिसंबर 1958 में अधिनियमित अपने संशोधन से पहले की तरह थी। के अंतर्गतरू- 50. निर्दिष्ट तिथि के बाद मृजित किरायेदारी के तहत भूमि धारण करने वाले किरायेदार का भूमि खरीदने का अधिकार-धारा 46 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तिथि के बाद किसी भी क्षेत्र में सृजित किरायेदारी के मामले में, भूमि धारण करने वाले प्रत्येक किरायेदार को ऐसी किरायेदारी के नहत और उस पर व्यक्तिगत रूप से खेती करने

वाला किरायेदारी के प्रारंभ होने से एक वर्ष के भीतर इतनी भूमि खरीदने का हकदार होगा जितनी वह धारा 41 के तहत खरीदने का हकदार हो सकता है और धारा 41 से 44 (दोनों सम्मिलित) के प्रावधानों को संशोधित करेगा। ऐसी खरीद पर यथोचित परिवर्तन लागू होते हैं।

न्यायालय ने पाया कि अपने मूल रूप में धारा 50 के अंतर्गत आने वाली किरायेदारी वे थीं जो 1.4.1961 के बाद बनाई गई थीं क्योंकि यही वह तारीख थी जब कुछ किरायेदारों के पक्ष में स्वामित्व का वैधानिक हस्तांतरण हुआ था जो भूमि खरीदने के हकदार थे। किरायेदारी अधिनियम की धारा 41 के तहत। यह कहा जा सकता है कि धारा 43 में श्रू में उप-धारा (14 ए) शामिल नहीं थी और धारा 43(14 ए) में निहित भूमि के आत्मसमर्पण की अवधारणा 12.2.1962 से पहले प्रासंगिक नहीं थी जब उप-धारा (14 ए)) पहली बार 1962 के अधिनियम संख्या 2 द्वारा कानून की किताब में डाला गया था। धारा 50 को पहली बार 1961 के महाराष्ट्र अधिनियम 5 द्वारा संशोधित किया गया था और उस धारा में उप-धारा (2) जोड़ा गया था। धारा 50 को 1962 के अधिनियम संख्या 2 द्वारा फिर से संशोधित किया गया था और यह इस संशोधन का परिणाम है कि धारा अपने वर्तमान स्वरूप में है, इसके एक छोटे से हिस्से को छोड़कर जो महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 39 दवारा एक संशोधन का परिणाम है। 1964 का। न्यायालय ने धारा 50 में संशोधन पर भी विचार किया और कहाू-

"इस धारा में भौतिक संशोधन स्पष्ट रूप से 1962 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 2 दवारा किरायेदारी अधिनियम में धारा 49-ए के अधिनियमन का परिणाम था। धारा 49-ए के अधिनियमन द्वारा विधायिका ने सभी भूमि के स्वामित्व वैधानिक हस्तांतरण के लिए प्रावधान किया। एक किरायेदार दवारा धारित भूमि जो धारा 46 के तहत किरायेदार को हस्तांतरित नहीं की गई है या जो 1.4.1963 से धारा 41 या धारा 50 के तहत उसके दवारा खरीदी नहीं गई थी, यदि ऐसी भूमि पर किरायेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की गई थी और यदि कुछ शर्तें धारा 49-ए में निर्धारित प्रावधानों से संतुष्ट थे। धारा 49-ए धारा 41 या 46, या इसके विपरीत किसी प्रथा, प्रथा, डिक्री, अनुबंध या अनुदान में निहित किसी भी बात के बावजूद संचालित होती है। उस दिन एक किरायेदार दवारा धारित भूमि के संबंध में 1.4.963 से स्वामित्व के वैधानिक हस्तांतरण का प्रावधान करते हुए, धारा 50 को 1.4.1963 के बाद बनाई गई किरायेदारी के संबंध में लागू किया गया था। धारा 50 केवल उन किरायेदारियों के लिए प्रदान नहीं करती है जो 1.4.1963 के बाद बनाई गई थीं, बल्कि यह उन किरायेदारों से भी निपटती हैं जिन्हें किरायेदारी अधिनियम की धारा 7

या 10 या 52 या 28 या 128-ए के तहत बहाल किया गया था। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक किरायेदार के पास ऐसी किरायेदारी के तहत भूमि है, यानी, एक किरायेदारी जो उस धारा में निर्दिष्ट अनुभागों में से किसी एक के तहत बहाल की गई थी, या 1.4.1963 के बाद बनाई गई किरायेदारी के तहत, एक मकान मालिक द्वारा नहीं। किरायेदारी अधिनयम के अध्याय प्प्प्-ए के अर्थ के अंतर्गत मकान मालिक, यदि वह ऐसी किरायेदारी के तहत अपने पास मौजूद भूमि पर व्यक्तिगत रूप से खेती कर रहा था, तो वह किरायेदारी के शुरू होने से या किरायेदारी की बहाली से एक वर्ष के भीतर उस भूमि को खरीदने का हकदार होगा।"

मामला हो सकता है.

धारा 50 के संबंध में उपरोक्त योजना पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने माना कि-

"धारा 50 धारा 41 को दो बार संदर्भित करती है। पहला संदर्भ उस भूमि की सीमा को इंगित करने के लिए किया गया है जिसे किरायेदार किरायेदारी अधिनियम की धारा 50 के तहत खरीदने का हकदार है। धारा के भौतिक शब्द सभी

विशेषण खंडों को छोड़कर ऐसी किरायेदारी के तहत भूमि रखने वाले और उस पर व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाला प्रत्येक किरायेदार ऐसी भूमि का उतना ही हिस्सा खरीदने का हकदार होगा जितना वह धारा 41 के तहत खरीदने का हकदार हो सकता है। ऐसी भूमि शब्द का तात्पर्य है वह भूमि जो उसके पास किरायेदारी के अंतर्गत है और जिस पर वह व्यक्तिगत रूप से खेती करता है। जब यह तय किया जाना है कि क्या किरायेदार उस पूरी जमीन को खरीदने का हकदार है जो उसके पास किरायेदारी के तहत है और जिस पर वह व्यक्तिगत रूप से खेती करता है, तो धारा 41 का संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है। धारा कहती है कि किरायेदार केवल उतनी ही जमीन खरीदने का हकदार है जितनी वह धारा 41 के तहत खरीदने का हकदार हो सकता है। धारा 41 एक किरायेदार के जमीन खरीदने के अधिकार से संबंधित है और यह अधिकार धारा 42 के प्रावधानों के अधीन है जिसमें धारा 41 के तहत किरायेदार जिस भूमि को खरीद सकता है उसकी सीमा निर्धारित की गई है। जिन शब्दों को किरायेदार धारा 41 के तहत खरीदने का हकदार हो सकता है, उनमें धारा 42 में प्रतिबंध का स्पष्ट संदर्भ है। धारा 41 का संदर्भ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए है, अर्थात् उस भूमि की सीमा का पता लगाने के लिए जिसे किरायेदार खरीदने का हकदार है।"

इसके बाद न्यायालय ने धारा 42 और धारा 43 के प्रासंगिक भाग, विशेष रूप से, (14-ए) का उल्लेख किया और कहा-

"यह उपधारा धारा 41 के तहत खरीद के अधिकार का प्रयोग करने में किरायेदार के विफल होने के परिणामों को निर्धारित करती है, जिसका धारा 50 के प्रावधानों के मद्देनजर भी पालन किया जाना चाहिए, जहां किरायेदार धारा 50 के तहत खरीद के अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहता है और यह किसी भी भूमि की खरीद के अप्रभावी होने के परिणामों का भी प्रावधान करता है। इसका परिणाम यह होगा कि भूमि को मकान मालिक को समर्पित कर दिया गया माना जाएगा और उसके बाद धारा 21 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान ऐसी भूमि पर लागू होंगे जैसे कि भूमि किरायेदार द्वारा धारा के तहत आत्मसमर्पण की गई थी। 20. इस धारा में जो परिणाम निर्धारित किया गया है वह यह है कि भूमि को मकान मालिक को आत्मसमर्पण कर दिया गया माना जाता है और ऐसे आत्मसमर्पण के बाद धारा 21 (1) और (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक जांच की जानी आवश्यक है। भूमि की उस सीमा के बारे में जिसे जमींदार अपने पास रखने का हकदार है।"

न्यायालय ने अंततः माना कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 43 (14-ए) द्वारा अपेक्षित परिणाम केवल तभी उत्पन्न होंगे जब किरायेदार एक वर्ष के भीतर खरीद के अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहता है।

विक्रम यशवन्त और अन्य बनाम एकनाथ त्रयंबक गाडेकर और अन्य ख्1977 एमएच.एलजे 520, मामले में डिवीजन बेंच द्वारा उपरोक्त निर्णय को फिर से पुनर्विचार के लिए भेजा गया था। डिवीजन बेंच ने माना कि वे उपरोक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत थे। डिवीजन बेंच ने दोहराया कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 50 और 43 (14-ए) को ठीक से पढ़ने पर, किरायेदार की ओर से विफलता होने पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार मकान मालिक को प्राप्त हुआ माना जाएगा। धारा 20 के अनुसार एक वर्ष के भीतर भूमि खरीदने के लिए। उपरोक्त निर्णयों का डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश में पालन किया जाता है। किरायेदारी अधिनियम की धारा 50 की व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा लगातार ऊपर बताए गए तरीक से की गई है और लगभग तीन दशकों के बाद उस प्रावधान की अलग-अलग व्याख्या करके

निर्णयों की प्रक्रिया को बिगाइना उचित नहीं होगा। राज नारायण पांडे और अन्य बनाम संत प्रसाद तिवारी और अन्य (1973, 2 एससीसी 35, में इस न्यायालय ने माना कि स्थानीय कानून के मामले में, कई वर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का आम तौर पर पालन किया जाना चाहिए और परेशान नहीं. न्यायालय ने आगे कहा-

"एक अलग दृष्टिकोण न केवल अनिश्चितता और भ्रम का तत्व पेश करेगा, बल्कि उन निर्णयों के विश्वास पर किए गए लेनदेन को अस्थिर करने का भी प्रभाव डालेगा। ऐसी स्थिति में घरने के निर्णय के सिद्धांत को उपयुक्त रूप से लागू किया जा सकता है। जैसा कि ब्राउनसी हेवन प्रॉपर्टीज बनाम पूल कॉर्पोरेशन के मामले में लॉर्ड एवरशेड एमआर ने देखा, 1958 अध्याय 574 (सीए) (1958 1 ऑल ईआर 205, इस दृष्टिकोण के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्राधिकारी है कि लंबे समय का निर्णय- जिसके आधार पर कई व्यक्तियों ने समय के साथ अपने मामलों की व्यवस्था की होगी, उसे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा हल्के ढंग से परेशान नहीं किया जाना चाहिए जो निर्णय से खुद को सख्ती से बाध्य नहीं करता है।"

उपरोक्त टिप्पणियों को दर्शन सिंह आदि बनाम राम पाल सिंह और

अन्य आदि में संदर्भित और भरोसा किया गया है। (1992) पूरक। 1 एससीसी 191, पैरा 33,।

इसके अलावा, गोविंद मामले (सुप्रा) में दर्ज कारणों पर विचार करते हुए, हमें नहीं लगता कि विवादित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। धारा 50, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, प्रावधान करती है कि (प) ऐसे मामले में जहां किरायेदारी बहाल की जाती है या एक मकान मालिक द्वारा बनाई जाती है जो अध्याय प्प्प-ए के अर्थ के तहत मकान मालिक नहीं है यानी मकान मालिक जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं या रहे हैं, किरायेदार किरायेदारी की शुरुआत या बहाली से एक वर्ष के भीतर खरीद का हकदार होगा (पप) किरायेदार इतनी जमीन खरीदने का हकदार होगा जितनी वह धारा 41 के तहत खरीदने का हकदार है और (पपप) ऐसी खरीद के लिए धारा 41 से 44 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 50 की योजना धारा 41 से अलग है। धारा 41 एक किरायेदार द्वारा भूमि की खरीद की बात करती है और निर्दिष्ट श्रेणियों के मकान मालिक के पक्ष में उप-धारा (2) में दिए गए अपवाद को उजागर करती है (नाबालिग, विधवा या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति)। इसके विपरीत, धारा 50 के तहत मकान मालिक या किरायेदार के पक्ष में ऐसा कोई अपवाद नहीं बनाया गया है जो नाबालिग है, विधवा है या किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति है। भूमि खरीदने के लिए इस तरह के विकल्प का प्रयोग

करने की निर्धारित समय सीमा केवल एक वर्ष है। यदि मकान मालिक या किरायेदार नाबालिग, विधवा या विकलांग व्यक्ति है, तो खरीद के ऐसे अधिकार को स्थगित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। धारा 42 भूमि की सीमा प्रदान करती है जिसे किरायेदार धारा 41 के तहत खरीद सकता है और सीमा तीन पारिवारिक जोतों के आधार पर निर्धारित की गई है। धारा 2 (13) के तहत पारिवारिक हिस्सेदारी को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ उस स्थानीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में धारा 4 के तहत निर्धारित पारिवारिक हिस्सेदारी है। धारा 43 प्रस्ताव देने की प्रक्रिया, खरीद मूल्य और उसके भुगतान का निर्धारण और भुगतान न करने के परिणाम प्रदान करती है। धारा 44 यह प्रावधान करती है कि यदि भूमि पर कानूनी रूप से कोई बाधा मौजूद है, तो खरीद मूल्य को ऋणभार की संत्ष्टि और उस उद्देश्य के लिए प्रक्रिया के लिए लागू किया जाना है।

इसके विपरीत, धारा 46 01.4.1961 से किरायेदारों द्वारा धारित भूमि की मानी गई खरीद का प्रावधान करती है। ऐसे मामले में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है जहां किरायेदार नाबालिग है, विधवा है, सशस्त्र बलों का सेवारत सदस्य है या किसी शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति है, तो भूमि का स्वामित्व उसमें निर्दिष्ट अविध के बाद स्थानांतिरत हो जाता है। हालाँकि, ऐसी श्रेणी के मकान मालिक के पक्ष में समान लाभ नहीं दिया जाता है। इसके बाद, विधायिका ने 1961 के महाराष्ट्र अधिनियम 2 द्वारा धारा 49 (ए) शामिल की, जिसमें प्रावधान

किया गया कि 01.4.1963 से धारा 41 और 46 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, एक किरायेदार के पास मौजूद भूमि का स्वामित्व, जो धारा 46 के तहत किरायेदार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है या जो धारा 41 या धारा 50 के तहत उसके द्वारा नहीं खरीदी गई है, वह ऐसे किरायेदार को हस्तांतरित और निहित हो जाएगी, जो उपरोक्त तिथि से, ऐसी भूमि का पूर्ण मालिक माना जाएगा, यदि ऐसी भूमि पर उसके दवारा व्यक्तिगत रूप से खेती की जाती है। यह खरीद एक शर्त के अधीन है जैसा कि परंत्क में बताया गया है कि जहां एक मकान मालिक ने धारा 38 या 39 के तहत कब्जे के लिए आवेदन किया है, तो ऐसी खरीद उस जमीन की होगी, जिस तारीख को आवेदन पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। ऐसे निर्णय के बाद भी कब्जा बरकरार रखने का हकदार है। उपरोक्त धाराओं के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि धारा 50 की योजना यह देखना है कि या तो किरायेदार जमीन खरीदता है या जमीन का कब्जा मकान मालिक को वापस कर देता है। इसमें प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां किरायेदारी 01.4.1963 के बाद बनाई या बहाल की जाती है, किरायेदार किरायेदारी श्रूक होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर धारा 42 में उल्लिखित सीमा तक उसके द्वारा खेती की गई भूमि खरीदने का हकदार है। यदि ऐसे अधिकार का प्रयोग करने में विफलता होती है, तो धारा 43 (14 ए) में दिए गए परिणाम भुगतने होंगे।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री उदय यू. ललित ने प्रस्तुत किया

कि धारा 50 विशेष रूप से प्रदान करती है कि धारा 41 से 44 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे और इसलिए, धारा 41 की उप-धारा (2) स्वचालित रूप से लागू होगी और का अधिकार निर्धारित अविध समाप्त होने तक किरायेदार द्वारा जमीन खरीदने की तिथि को स्थगित कर दिया गया है।

हमारे विचार में, यह निवेदन प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 50 में केवल यह प्रावधान है कि किरायेदार ऐसी भूमि का उतना ही हिस्सा खरीदने का हकदार होगा जितना वह धारा 41 के तहत खरीदने का हकदार हो सकता है और ऐसी खरीद के लिए धारा 41 से 44 के प्रावधान होंगे। यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू करें। धारा 50 के संदर्भ में समझी जाने वाली यथोचित परिवर्तनों की अवधारणा धारा 41 से 44 तक ऐसी खरीद के विवरण के बिंद्ओं में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी, यानी, जहां एक किरायेदार ने जमीन खरीदने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है धारा 42 के तहत अनुमत सीमा तक इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद, धारा के वे हिस्से जो ऐसी खरीद से संबंधित हैं, लागू किए जाते हैं लेकिन धारा 41(2) के तहत प्रदान की गई ऐसी खरीद को स्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं है। उप-धारा (2) को धारा 50 के तहत खरीद के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह खरीद से संबंधित नहीं है बल्कि यह ऐसी खरीद को स्थगित करने के संबंध में है। यह अन्य प्रावधानों, अर्थात् धारा 46 और 49(ए) के अनुरूप है। धारा 46 के तहत डीम्ड खरीद 01.4.1961 से प्रदान की जाती है, उन मामलों को छोडकर जहां किरायेदार नाबालिग, विधवा, सशस्त्र बलों का सेवारत सदस्य या किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति था और उन मामलों में डीम्ड खरीद को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जैसा कि उसमें बताया गया है, विकलांगता समाप्त हो गई। मकान मालिक के पक्ष में कोई अपवाद नहीं बनाया गया है जो नाबालिग, विधवा या विकलांग व्यक्ति है। अंततः धारा 49(ए) जोड़ी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि धारा 41 या 46 में किसी भी बात के बावजूद किरायेदार के पास मौजूद भूमि का स्वामित्व वह भूमि है जो धारा 46 के तहत किरायेदार को हस्तांतरित नहीं की जाती है या जो धारा 41 के तहत उसके द्वारा खरीदी नहीं जाती है। या 50 ऐसे किरायेदार को हस्तांतरित और निहित हो जाएगा और उस तिथि से वह ऐसी भूमि का पूर्ण स्वामी होगा, यदि ऐसी भूमि उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की जाती है। धारा 38 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी से संबंधित मकान मालिक के पक्ष में अपवाद बनाया गया है, अर्थात नाबालिग, विधवा या किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति के पक्ष में। धारा 50 के तहत ऐसा कोई अपवाद नहीं बनाया गया है। दूसरे, धारा 50 विशेष रूप से प्रदान करती है कि प्रत्येक किरायेदार जिसके पास ऐसी किरायेदारी के तहत भूमि है यानी 01.4.1963 के बाद बनाई गई या बहाल की गई किरायेदारी, और उस पर व्यक्तिगत रूप से खेती करना श्रू होने से एक वर्ष के भीतर खरीदने का हकदार होगा या जैसा भी मामला हो, किरायेदारी की उतनी ही भूमि की बहाली, जितनी वह धारा 41 के तहत खरीदने का हकदार हो सकता है। एक वर्ष की अवधि को यह मानकर नहीं बदला जा सकता है कि उप-धारा (2) लागू होगी और ऐसी खरीद अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना है अर्थात मकान मालिक की विकलांगता की समाप्ति की तारीख से दो साल के बाद। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाए तो इस तरह की खरीद को अनिश्चित घटना के घटित होने के बाद दो साल की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, जैसे कि नाबालिंग मकान मालिक का वयस्क हो जाना, विधवा का मालिक नहीं रहना या विकलांग व्यक्ति के मामले में, मानसिक या शारीरिक विकलांगता की समाप्ति तक। यह न तो विधायिका का इरादा है और न ही इसका प्रावधान किया गया है। जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि ऐसी खरीद पर धारा 41 से 44 यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगी।

परिणामस्वरूप, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, अपील को खारिज करने की आवश्यकता है। तदनुसार, सिविल अपील को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती संजू चैधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।